प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 08.02.2024 को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयी-

1. अवैध तमंचा व कारतूस सहित एक आरोपी गिरफ्तार,थाना भगतपुरः-

अवगत कराना है आज दिनांक 08-02-2024 को उ0नि0 श्री कुलदीप कुमार थाना भगतपुर द्वारा मय हमराही पुलिसबल के आरोपी नरेन्द्र पुत्र ऊदलसिहं नि0 ग्राम वुढानपुर अलीगंज थाना भगतपुर, मुरादाबाद को मय एक अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना भगतपुर पर मु0अ0सं0-35/24 धारा-3/25 आयुध अधि0 पंजीकृत किया गया।

2. अवैध चाकू सहित एक आरोपी गिरफ्तार,थाना भगतपुरः-

अवगत कराना है आज दिनांक 08-02-2024 को उ0नि0 श्री ब्रजकिशोर थाना भगतपुर द्वारा मय हमराही पुलिसबल के आरोपी अख्तर पुत्र जवरखाँ निवासी ग्राम जाहिदपुर सीकमपुर थाना भगतपुर, मुरादाबाद को मय एक अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना भगतपुर पर मु0अ0सं0-36/24 धारा-4/25 आयुध अधि0 पंजीकृत किया गया।.

3.एक राय होकर षडयंत्र रच बलात्कार के झूठे मुकदमें में फंसाने की धमकी देकर रूपये की मांग करने व धारदार हथियार से हमला करते हुए जान से मारने की धमकी देने के प्रकरण में एक अभियुक्ता गिरफ्तार,थाना भोजपुरः-

अवगत कराना है दिनांक 04.02.2024 को वादी आदिल पुत्र शाहिद निवासी मोहल्ला फतेहपुरी कस्वा व थाना भोजपुर,मुरादाबाद ने अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर षडयंत्र रचकर वादी पर बलात्कार का झूठा मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देने, वादी से दस लाख रूपये की मांग करने व वादी के कार-गैराज में घुसकर वादी पर चाकू से हमला कर देने व जान से मारने की धमकी देने के संबध में थाना भोजपुर पर तहरीर दी। तहरीर के आधार पर थाना भोजपुर पर मु0अ0सं0- 0041/2024 धारा-120बी/147/148/386/452/352/506 भादवि पंजीकृत किया गया। उक्त संबंध में विवेचनात्मक कार्यवाही व साक्ष्यों के आधार पर आज दिनांक 08.02.2024 को उ0नि0 श्री राजनाथ सिंह थाना भोजपुर द्वारा मय हमराही पुलिसबल के अभियुक्ता नाजिया पुत्री रमजानी निवासी लालपुर बराही थाना

भगतपुर,मुरादाबाद हाल पता निवासी मौ० नया गाँव दिल्ली रोड थाना मंझोला,मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया। मुकदमा उपरोक्त में वांछित अन्य अभियुक्तगण की तलाश थाना पुलिस द्वारा की जा रही है।

4.नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने का आरोपी गिरफ्तार,थाना भोजपुरः-

अवगत कराना है दिनांक 07.02.2024 को वादी निवासी थाना भोजपुर क्षेत्रांतर्गत ने अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़,अश्लील हरकते करने के संबंध में थाना भोजपुर पर तहरीर दी। तहरीर के आधार पर थाना भोजपुर पर मु0अ0सं0-0045/2024 धारा-354 भादवि व 9(M)/10 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया। उक्त संबंध में विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त आज दिनांक 08.02.2024 को उ0नि0 श्री महेशचन्द थाना भोजपुर द्वारा मय हमराही पुलिसबल के आरोपी अरमान पुत्र रहीस निवासी ग्राम मझरा शाहपुर थाना भोजपुर,मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।

5.अवैध चाकू सहित एक आरोपी गिरफ्तार,थाना भोजपुरः-

अवगत कराना है आज दिनांक 08-02-2024 को उ0नि0 श्री सुनील राठी थाना भोजपुर द्वारा मय हमराही पुलिसबल के आरोपी अकरम पुत्र इब्राहिम नि0 मौ0 बगियवाला कस्बा व थाना भोजपुर,मुरादाबाद को मय एक अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना भोजपुर पर मु0अ0सं0-47/24 धारा-4/25 आयुध अधि0 पंजीकृत किया गया।

6.अवैध तमंचा व कारतूस सहित एक आरोपी गिरफ्तार,थाना कटघरः-

अवगत कराना है आज दिनांक 08-02-2024 को उ0नि0 श्री सोमपाल सिंह थाना कटघर द्वारा मय हमराही पुलिसबल के आरोपी विपिन कश्यप पुत्र मुन्ना लाल कश्यप निवासी मौ0 कश्यप वाला पंडित नगला थाना कटघर, मुरादाबाद को मय एक अवैध तमंचा 312 बोर व 01 जिंदा कारतूस 312 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना कटघर पर मु0अ0सं0-64/24 धारा-3/25 आयुध अधि0 पंजीकृत किया गया।

7.थाना ठाकुरद्वारा पुलिस ने हत्या की घटना का 24 घण्टे के अन्दर सफल अनावरण कर हत्या कारित करने के 02 आरोपियों को किया गिरफ्तार,कब्जे से आलाकत्ल व मोबाईल फोन बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 06-02-2024 की रात्रि को थाना ठाकुरद्वारा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कालाझण्डा में गेंहू के खेत के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़े होने की सूचना मिली। इस सूचना पर प्र0नि0 ठाकुरद्वारा द्वारा तत्काल मौके पर जाकर जांच की गयी तो मृतक अज्ञात की शिनाख्त राजीव कुमार पुत्र नारायण सिंह निवासी कालाझण्डा थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद के रुप में हुई। उक्त संबंध में वादी पदम सिंह पुत्र नारायण सिंह निवासी ग्राम कालाझण्डा थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद की तहरीर के आधार पर थाना ठाकुरद्वारा पर मु0अ0सं0- 48/2024 धारा 302 भादवि बनाम राजेश पुत्र विलासा निवासी ग्राम शिवनगर पत्थरखेडा थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद व कुछ अज्ञात पंजीकृत किया गया। सूचना पर उच्चाधिकारीगण द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया।

उक्त संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के आदेशानुसार घटना के शीघ्र अनावरण/प्रकरण में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिये निर्देशन के अनुपालनार्थ पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी ठाकुरद्वारा के नेतृत्व में थाना ठाकुरद्वारा पर टीम गठित की गई। परिस्थितिजन्य साक्ष्यों, विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान 1-सुशील कुमार पुत्र पदम सिंह 2-गौरव कुमार शर्मा पुत्र सुशील कुमार शर्मा निवासीगण ग्राम कालाझण्डा थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद के नाम प्रकाश में आये। गठित टीम द्वारा आज दिनांक 08-02-2024 को मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1-सुशील कुमार पुत्र पदम सिंह 2-गौरव कुमार शर्मा पुत्र सुशील कुमार शर्मा निवासीगण ग्राम कालाझण्डा थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक लोहे की हथौड़ी बरामद की गयी। मुकदमा उपरोक्त में धारा-201/34 भा0द0वि0 की वृद्धि की गयी। अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण पूछताछः-

पूछताछ पर अभियुक्त सुशील कुमार ने बताया कि मैं अपनी चाची से प्यार करने लगा था। मेरी चाची भी मुझे चाहती थी अब से करीब 01 माह पूर्व मुझे व मेरी चाची को मेरे चाचा राजीव कुमार ने एक साथ देख लिया था। मेरे चाचा राजीव ने मुझे व मेरी चाची को पीटा था। यह बात मुझे बहुत बुरी लगी। मैं जहर का घूट पीकर रह गया था। मैने उसी दिन अपने चाचा को मारने की ठान ली थी। यह बात मैंने अपने दोस्त गौरव कुमार शर्मा को बतायी पहले तो उसने मुझे मना कर दिया फिर मैनें उसे दोस्ती का वास्ता दिया तो वह मेरा साथ देने को तैयार हो गया दिनांक 06-02-2024 को मेरा चाचा राजीव व मेरा फूफा राजेश कुमार गांव में शराब पीकर घूम रहे थे। इसका मुझे पता चला तो शाम करीब 07.00 बजे मैं अपने दोस्त गौरव कुमार की दुकान पर पहुंचा और उसे बताया कि तुम मेरे चाचा को शराब के बहाने जंगल में ले जाओ। मेरे दोस्त गौरव नें रात्रि लगभग 19.30 बजे अपने फोन से मेरे चाचा राजीव कुमार के फोन पर काल करके बाहर बुलाया और उसे उदयवीर सिंह के खेत की तरफ ले गया। मैं पहले ही वहां पहुंचकर गन्ने के खेत में छुपकर बैठ गया था जैसे ही मेरे चाचा राजीव कुमार व मेरा दोस्त गौरव शर्मा खेत की मेड़ से आगे बढे तो मैनें गन्ने के खेत से निकलकर राजीव का मुंह और गला दबा दिया। गौरव ने उसके हाथ पकड़ लिए,मेरे चाचा फोन पर बात कर रहे थे, फोन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। मैं एक हथोड़ी अपने साथ

लेकर आया था। मैंने हथोड़ी, चाचा के माथे पर मार दी, जिससे चाचा जमीन पर गिर गये। हम दोनो चाचा को उठाकर उदय वीर के खेत की ओर ले गये और खेत में डालकर वापस आ गये। हमें रास्ते में फूफा राजेश मिले। जिन्हें हमने कुछ नहीं बताया, मैंने हथोड़ी गन्ने के खेत में छिपा दी थी और चाचा का मोबाइल गौरव अपने साथ ले गया। जिसे उसने स्कूल के पीछे फेंक दिया। गौरव कुमार ने भी पूछताछ करने पर अपने दोस्त सुशील कुमार के बयानों का ही समर्थन किया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नामः-

1-सुशील कुमार पुत्र पदम सिंह निवासी ग्राम कालाझण्डा थाना ठाकुरद्वारा,मुरादाबाद।

2-गौरव कुमार शर्मा पुत्र सुशील कुमार शर्मा निवासी ग्राम कालाझण्डा थाना ठाकुरद्वारा,मुरादाबाद।

बरामदगी का विवरणः-

1.घटना में प्रयुक्त अभियुक्तगण के दो मोबाईल फोन मय सिम

2.अभियुक्तगण की निशादेही पर मृतक राजीव कुमार का 01 मोबाईल फोन मय सिम

3.घटना में प्रयुक्त एक लोहे की हथौड़ी (आलाकत्ल)

पंजीकृत अभियोगः- मु0अ0सं0-48/2024 धारा 302/201/34 भादवि थाना ठाकुरद्वारा मुरादाबाद।

नोटः-अभियुक्तगण के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1-प्र0नि0 श्री किरनपाल सिंह थाना ठाकुरद्वारा,मुरादाबाद।

2-हे0का0 अनिल कुमार मय सर्विलांस टीम ,मुरादाबाद।

3-नि0अप0 श्री कृष्ण कुमार सिंह थाना ठाकुरद्वारा , मुरादाबाद।

4-उ0नि0 श्री छविनाथ सिंह थाना ठाकुरद्वारा ,मुरादाबाद।

5-का0 मनीष कुमार थाना ठाकुरद्वारा,मुरादाबाद।